म0प्र0ईकोपर्यटन विकास बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश		पृष्ठ क्र.
1.	बोर्ड गठन का आदेश – प्रमुख सचिव, वन – आदेश क्र. 15–39/2004/10–2 दि. 12 जुलाई 05	2
2.	समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र	4
3.	मध्य प्रदेश बोर्ड को अनुदान – प्रमुख सचिव वन– पत्र क्र. एफ–15–39/04/10–2 दि. 22.08.05	5
4.	बैंक खाता खोलने एवं संचालन आदेश – प्रमुख सचिव वन– आदेश क्र. एफ–15–39/04/10–2 दि. 30.08.05	6
5.	ओरछा अभ्यारण्य में कैफेटेरिया संचालन– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र 405, दि. 23.01.06	7
6.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विकास निधि में प्राप्त राशि में से 10 प्रतिशत अंश राशि बोर्ड को उपलब्ध कराने के संबंध में– उप सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्र. एफ–14–156/93/10–2, दि. 14. 02.2006	10
7.	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के योजना क्रियान्वयन एजेन्सी– प्रमुख सचिव, वन – पत्र क्र. 15–7/2006/10–2 दि. 16.02.2006	11
8.	ईकोपर्यटन प्रबंधन– प्रमुख सचिव वन – पत्र क्र. 5200 दि. 15.11.2006	13
9.	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के योजना क्रियान्वयन एजेन्सी– अवर सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग का पत्र क्र. एफ–15–7/2006/10–2 , दि15.05.2007	14
10.	रातापानी अभ्यारण्य के देलावाड़ी वन विश्राम गृह प्रांगन में स्थापित जंगल कैम्प अनुबंध – अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र 4730 दि. 11.09.2008	15
11.	ईकोपर्यटन प्रबंधन को कार्य आयोजना में सम्मिलित करने के संबंध में – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)– पत्र क्र. 260 दि. 13.3.09	18
12.	ईकोपर्यटन गाईडलाईन– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) – पत्र क्र. 1039 दि. 18.3.09	20
13.	Permission for camping in Orchha Tourism Zone to Snow Leopard Adv. Pvt. Ltd.- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) – पत्र क्र. 2643 दि. 30.06.09	21
14.	वन विश्राम गृह/निरीक्षण कुटीरों को निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराने बावत्– अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग – आदेश क्र. 296/3443/09/10–2 दि. 22.01.10	23
15.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य में ईकोपर्यटन को बढ़ावा देने बावत। अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग अपर मुख्य सचिव वन– अर्द्ध.शा पत्र क्र. एफ 15/10 दि. 1.02.2010	24
16.	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के मुख्य वन संरक्षक को बोर्ड का पदेन महाप्रबंधक निर्धारण – अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग – पत्र क्र. 568 दि. 23.03.10	26
17.	निजी पूँजी निवेश (PPP)के अंतर्गत ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास– अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग,–पत्र क्र. 1659 दि 6.9.10	27
18.	वन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रकृति संवर्धन शिक्षा (Conservation Education)- अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग –पत्र क्र. 1186 दि. 15.6.10	28
19.	Institutionalising Ecotourism by incorporation in National Working Plan Code. – Additional Chief Secretary-Forest Department, DO letter 3845 dt 15.11.10	29

20. वन विश्राम गृह/निरीक्षण कुटीरों को पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के माध्यम से संधारित करने बावत्– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., आदेश क्र. 662 दि. 26.07.11	31
21. ईकोपर्यटन गतिविधियों को संस्थागत करने बावत् –अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग – पत्र क्र. 250 दि. 23.01.12	32-33
22. संरक्षित क्षेत्रों में ईकोपर्यटन गतिविधियॉं आयोजित करने बावत्– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र.– पत्र क्र. 54 दि. 03.01.2012	34
23. वन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन गतिविधियों आयोजित करने बावत्– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.– पत्र क्र. 341 दि. 27.01.12	35
24. ईकोपर्यटन योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्यपूर्ण प्रतिवेदन हेतु क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करने बावत्– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.– पत्र क्र. 82 दि. 12.04.12	36
25. ईकोपर्यटन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र.– पत्र क्र. 101 दि. 20.04.12	37

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2005

क्रमांक एफ.15—39/2004/10—2 : राज्य शासन एतद् द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों के विकास एवं उन्हें बढ़ावा देने की दृष्टि से मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार करता है :—

(1) मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को संस्था के रूप में पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किये जाने हेतु अध्यक्ष, ईकोपर्यटन प्रकोष्ठ, एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित, को अधिकृत किया जाता है।

(2) बोर्ड की संरचना शासन द्वारा अनुमोदित आर्टिकलस आफ एसोशियेशन अनुसार रहेगी तथा बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यकारी समिति रहेगी।

(3) राज्य शासन के विभाग, गठित निगम एवं अन्य शासकीय अथवा अशासकीय संस्थायें आवश्यक राशि देकर बोर्ड की सेवायें ईकोपर्यटन विकास की दिशा मे प्राप्त कर सकेंगी।

(4) बोर्ड के गठन हेतु अलग से पदों का निर्माण नहीं किया जायेगा। वन विभाग में उपलब्ध अतिशेष पद बोर्ड को उपलब्ध कराते हुए उन पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थिति की जायेगी।

2/ बोर्ड के आर्टिकलस आफ एसोशियेशन एवं बायलॉज अनुमोदन उपरांत संलग्न हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/—
(अवनि वैश्य)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ.15–39/2004/10–2 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 05

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल,

2– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, भोपाल,

3– प्रमुख /सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल,

4– प्रमुख /सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल,

5– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल,

6– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल,

7– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास विभाग, भोपाल,

8– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

9– अध्यक्ष, ईकोपर्यटन प्रकोष्ठ एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल,

10– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल

11– प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, भोपाल,

12– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल,

13– सदस्य सचिव, ईकोपर्यटन प्रकोष्ठ, कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल,

14– संचालक, पुरातत्व विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल,

15– संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल,

16– निज सचिव, माननीय वन मंत्री,

17– निज सचिव, माननीय पर्यटन मंत्री,

18– निज सचिव, प्रमुख सचिव, वन

सही/–

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्ररूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 01/01/01/15425/05

यह प्रमाणित किया जाता है कि **मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड समिति** जो म.प्र.राज्य लघुवनोपज सहकारी संघ मर्यादित, 74 बंगले खेल परिसर इन्दिरा निकुंज नर्सरी भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 14/07/2005 को पंजीयित की गई है।

दिनांक चौदह माह जुलाई सन् 2005

सही/–
समितियों के रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 05

प्रति,

(1) श्री व्ही.आर.खरे,
प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ,
खेल परिसर,
भोपाल।

(2) श्री पी.सी.शुक्ला,
प्रबंध संचालक,
म.प्र.राज्य वन विकास निगम,
पंचानन भवन,
भोपाल।

विषयः– मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान।

————

आपको ज्ञात है कि शासन ने हाल ही में मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन एक पंजीकृत संस्था के रूप में किया है और इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है।

2/ संस्था के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की कण्डिका–19 को कार्यान्वित करने हेतु निम्नानुसार धनराशि प्रथमतः बोर्ड को उपलब्ध कराई जाना है:–

(1) मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम – रूपये 25 लाख।
(2) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ – रूपये 50 लाख।
(3) 12 वें वित्त आयोग से अनुदान – रूपये 25 लाख।

3/ अतः कृपया आपकी संस्था से उक्त धनराशि तत्काल म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को विमुक्त करें।

सही/–
(अवनि वैश्य)
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 15–39/04/10–2 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 05

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/–
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांकः 30/08/05

क्रमांक एफ–15–39/04/10–2 मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास प्रमोशन बोर्ड के MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION की धारा 19–(2)(VI) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की निधि एवं आय के प्रबंधन के लिये बैंक खाता खोलने तथा उनके संचालन करने के लिये स्वतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी को अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही/–
(अवनि वैश्य)
प्रमुख सचिव, वन, म.प्र.शासन
सह
अध्यक्ष, कार्यकारी समिति
म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

पृष्ठांकन क्रमांक/एफ/15–39/04/10–2 **भोपाल, दिनांकः 30/08/05**

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, इंदिरा निकुंज, वन खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त आदेश का अनुमोदन कार्यकारी समिति से प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल,
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघुवनोपज संघ, इंदिरा निकुंज, वन खेल, भोपाल
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), वन भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ /06/ भोपाल दिनांक

प्रति,

वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त, छतरपुर

विषयः– ओरछा अभ्यारण्य में कैफेटेरिया संचालन।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. व्यय/2005/26, दिनांक 26.01.06

आपके ओरछा अभ्यारण्य में बेतवा नदी के किनारे स्थित पैगोड़ा में कैफेटेरिया के संचालन की अनुमति दी जाती है। आपके द्वारा निविदा सूचना का प्रारूप भेजा गया है उसमें कृपया निम्नानुसार संशोधन कर अग्रिम कार्यवाही करें।ः–

1. ठेके की अवधि कम से कम 3 वर्ष रखी जाए ताकि निवेशक को अपने निवेश पर न्यूनतम आय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
2. शर्त क्रमांक 12 अनावश्यक है, इसे विलोपित किया जाए।
3. शर्त क्रमांक 13 में प्रतिभूमि की राशि वापस करने का प्रावधान जोड़ा जाए। जैसा कि ''असफल निविदाकार को यह राशि निर्णय लेने से एक माह के अन्दर वापस कर दी जाएगी।
4. निविदा की वैधता की शर्त जोड़ी जाए। (जैसे कि 'निविदा 3 माह की अवधि के लिए वैध होगी'')

कृपया शीघ्रातिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही कर सूचित करें।

सही/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/405 भोपाल, दिनांक 23.01.06

प्रतिलिपिः–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक/व्यय/..... टीकमगढ, दिनांक /01/2006

–निविदा सूचना–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि टीकमगढ़ वन मण्डल के अंतर्गत ओरछा अभ्यारण्य में तुंगारण्य क्षेत्र में पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया संचालित करने हेतु ठेके की दर के लिए मुहरबन्द निविदाएँ साधारण फार्म में दिनांक 01/06 को दिन के 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तथा उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/व्यक्तियों के समक्ष खोली जावेगी।

क्र0	स्थल	कार्य का नाम	मात्रा	विशेष
1	तुगारण्य (ओरछा अभ्यारण्य) वन मण्डल टीकमगढ़ (म0प्र0)	कैफेटेरिया संचालित करना	01	स्थल ओरछा में बेतवा नदी के किनारे झॉसी से 20 कि.मी. दूरी पर स्थित है। तथा कैफेटेरिया हेतु पेगोड़ा बना हुआ है।

निविदा की मुख्य शर्ते निम्नानुसार है–

1. कैफेटेरिया में चाय, काफी, ठण्डा, आइसक्रीम तथा अन्य स्नेक्स की व्यवस्था करना होगी।
2. कैफेटेरिया में भोजन बनाने की अनुमति नहीं रहेगी। सामग्री को गर्म करने के लिए गैस चूल्हा ओवन का उपयोग किया जा सकता है।
3. ठेके की अवधि एक वर्ष की रहेगी।
4. कैफेटेरिया में रात्रि 9.00 बजे के बाद किसी को रूकने की अनुमति नहीं रहेगी।
5. कैफेटेरिया में सामान की सुरक्षा की जबावदारी ठेकेदार की रहेगी। एवं आस पास सफाई की जबावदारी भी उसकी रहेगी।
6. कैफेटेरिया में अथवा उसके आस पास किसी भी प्रकार के विस्तार अथवा निर्माण की अनुमति नहीं रहेगी। पर्यटकों के बैठने एवं छाया हेतु कुर्सी टेबिल एवं गार्डन अम्ब्रेला लगाया जा सकता है।
7. शर्त संशोधन करने का अधिकार एवं किसी भी विवाद की स्थिति में वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।
8. खाद्य सामग्री की प्रदूषित होने अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी पर्यटक/व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति/हानि होती या बीमार/मृत्यु होती है तो पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
9. किसी भी प्रकार के मतभेद/विविदा टीकमगढ़ स्थित समक्ष न्यायालय में ही मान्य होगी।
10. किसी भी वन अधिकारी को जो वनपाल से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, कभी भी कैफेटेरिया के निरीक्षण का अधिकार होगा।
11. कैफेटेरिया में सामग्री बिक्री न होने/अथवा किसी भी प्रकार की हानि के लिए ठेकेदार स्वय जबावदार रहेगा।
12. ठेकेदार को सामग्री की बिक्री निर्धारित दरों पर ही करना होगी। अनावश्यक सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा।

13. निविदा के साथ प्रस्तावित राशि का 3 प्रतिशत अथवा रूपये 5000/– जो भी अधिक हो जमानत के रूप में बैंक ड्राफ्ट जो वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़ (म0प्र0) के नाम देय हो सलग्न करना अनिवार्य है।
14. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
15. निविदा के साथ वाणिज्यक टैक्स, पंजीयन प्रमाण पत्र विगत 2 वर्षो का आयकर तथा वाणिज्यक कर क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
16. फर्म की ओर से निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को प्राधिकार पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
17. निविदाकार किसी भी शासकीय विभा की काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिए।
18. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ है कि निविदाकार को निविदा की सभी शर्ते मंजूर है।
19. निविदा की दी गई दरे मार्च 2007 तक वैद्य रहेगी।
20. सफल निविदाकार को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर करारनामा निष्पादित करने हेतु वन मण्डल कार्यालय टीकमगढ़ में उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा यह मानकर कि निविदाकार सेवा देने में असमर्थ है जमानत की राशि शासन पक्ष में राजसात कर ली जावेगी।
21. निविदा डाक, कोरियर या अन्य साधनों से निर्धारित तिथि या समय के बाद प्राप्त होती है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा बिना खोले वापित कर दी जावेगी।
22. अतिरिक्त जानकारी हेतु वन मण्डलाधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में अथवा दूरभाष क्रमांक 07683–245315, 242343 गेंमरेन्ज आफीसर ओरछा (म0प्र0) से अथवा दूरभाष क्रमांक 07680–252621 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल टीकमगढ़

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग,

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ–14–156/93/10–2 भोपाल, दिनांक 14.02.2006

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विकास निधि में प्राप्त राशि में से 10 प्रतिशत अंश राशि म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

————————

उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विकास निधि में प्राप्त होने वाली राशि में से कम से कम 10 प्रतिशत राशि म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को उपलब्ध कराये जाने बाबत बोर्ड के उप नियम की धारा 19 (1) (क) में प्रावधानित किया गया है। म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड का गठन जुलाई, 2005 में किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा विकास निधि की नियमावली का अनुमोदन शासन के पत्र क्रमांक एफ–14–156/93/10–2, दिनांक 24.11.05 के माध्यम से किया गया था। इस नियमावली में भी दिनांक 31.07.05 के बाद से विकास निधि में प्राप्त राशि का 10 प्रतिशत अंश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि समस्त राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विकास निधि में इस दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाली राशि का 10 प्रतिशत अंश त्रैमासिक आधार पर म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। उक्त राशि का व्यय यथासंभव उन्हीं संरक्षित क्षेत्रों में किया जाना है। अतः सर्व संबंधितों को निर्देशित करें कि वह उक्त राशि के उपयोग के प्रस्ताव भी बोर्ड को भेजें।

सही/–
(डी.डी.अग्रवाल)
उप सचिव,
म.प्र.शासन, वन

पृ.क्रमांक 14–156/93/10–2 भोपाल, दिनांक 14.02.2006

प्रतिलिपि–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–
(डी.डी.अग्रवाल)
उप सचिव, वन

मध्यप्रदेश शासन,

वन विभाग,

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/15/7/2006/10–2 भोपाल, दिनांक 16/2/2006

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
   मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के योजना क्रियान्वयन एजेन्सी।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के विनियम क्रमांक 18 के अनुसार बोर्ड की क्षेत्रीय गतिविधियों का क्रियान्वयन वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। तद्नुसार वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को निम्नानुसार ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के पदेन अधिकारी घोषित किया जाता हैः–

1– वनमण्डलाधिकारी / उप संचालक राष्ट्रीय उद्यान –– **क्षेत्रीय प्रबंधक**

2– वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक/संचालक, टाइगर रिजर्व – **महाप्रबंधक**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उक्त अधिकारियों को ईकोपर्यटन से संबंधित निर्देश दिए जा सकेंगे तथा उनका पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सही/–
प्रमुख सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ0क्रमांक/ 15/7/2006/10–2 भोपाल, दिनांक 16/2/2006

प्रतिलिपि :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–
प्रमुख सचिव,
म0प्र0शासन, वन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ.क्र./15/7/2006/10–2 भोपाल, दिनांक 16/2/2006

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव, मंत्री, वन, म.प्र शासन, भोपाल।

2– निज सचिव, राज्यमंत्री, वन, म.प्र. शासन, भोपालं

3– प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यटन विभाग, भोपाल।

4– प्रबंध संचालक, म.प्र. पर्यटन विकास निगम, भोपाल।

5– समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।

6– समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

(डी.डी. अग्रवाल)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/5200/2006/10–2 भोपाल, दिनांक 15.11.2006

प्रति,

(1) समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय). मध्यप्रदेश,

(2) समस्त वन संरक्षक (कार्य आयोजना). मध्यप्रदेश,

(3) समस्त वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार). मध्यप्रदेश,

विषयः– ईकोपर्यटन प्रबंधन।

————

ईकोपर्यटन प्रबंधन को कार्य आयोजना में सम्मिलत करने के लिये बोर्ड द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त प्रस्तावित किये गये थे। इन सिद्धान्तों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षण कर अंतिम रूप दिया गया है जिसे बोर्ड द्वारा संलग्न पुस्तिका (Booklet) के रूप में प्रकाशित किया गया है।

2/ कृपया इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर कार्य आयोजनाओं में ईकोपर्यटन प्रबंधन के संबंध में विस्तृत प्रबंध योजना सम्मिलित करने की कार्यवही करें।

सही/–

(अवनि वैश्य)

प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,

वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय,

वल्ल्भ भवन, भोपाल– 462004

क्रमांक/एफ–15–7/2006/10–2 भोपाल, दिनांक 15.05.2007

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
   मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के योजना क्रियान्वयन एजेन्सी।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 16.02.2006।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ज्ञाप के तारतम्य में मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के विनियम क्रमांक–18 के अनुसार बोर्ड की क्षेत्रीय गतिविधियों का क्रियान्वयन के लिये म.प्र.राज्य वन विकास निगम भोपाल के क्षेत्रीय महाप्रबंधक एवं मंडल प्रबंधक को भी निम्नानुसार ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के पदेन अधिकारी घोषित किया जाता हैः–

1– क्षेत्रीय महाप्रबंधक, म0प्र0राज्य वन विकास निगम– **महाप्रबंधक**

2– मंडल प्रबंधक, म0प्र0राज्य वन विकास निगम – **क्षेत्रीय प्रबंधक**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उक्त अधिकारियों को भी ईकोपर्यटन से संबंधित निर्देश दिए जा सकेंगे तथा उनका पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सही/–
(मीनाक्षी मालवीया)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वन विभाग

पृ0क्रमांक/ 15/7/2006/10–2 भोपाल, दिनांक : 15.05.07

प्रतिलिपि :– 1.निज सचिव, मंत्री वन, म0प्र0शासन भोपाल
2. निज सचिव, राज्यमंत्री वन, म0प्र0 शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन पर्यटन विभाग, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम भोपाल
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल
6. समस्त आयुक्त म0प्र0
7. समस्त जिलाध्यक्ष म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/–
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश

ou Hkou] r|y lhuxj] Hkksiky& 462003

दूरभाष– 0755 / 2674206, 2674318, 2766315 (फैक्स)

क्रमांक/प्रबंध–/2008/4730 भोपाल, दिनांकः 11.09.2008

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल

विषयः– रातापानी अभ्यारण्य के देलावाड़ी वन विश्राम गृह प्रांगन में स्थापित जंगल कैम्प।

––––

रातापानी अभ्यारण्य के देलावाड़ी वन विश्राम गृह प्रांगन में स्थापित जंगल कैम्प के विकास में आपके द्वारा दिये गये योगदान के लिए धन्यवदा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त कैम्प को संलग्न शर्तो के अनुसार 3 वर्षो तक पर्यटन निगम द्वारा संचालित करने की अनुमति दी गई है। कृपया वन मंडलाधिकारी औबेदुल्लागंज से समन्वय करते हुए जंगल कैम्प प्रबंधन का संचालन करने का कष्ट करें।

संलग्लः– शासन द्वारा अनुमोदित शर्ते।

सही/–
(डॉ एच.एस.पाबला)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/प्रबंध–/2008/4731 भोपाल दिनांक 11.09.08

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल।
3. वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल।
4. वन मंडलाधिकारी, औबेदुल्लागंज, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

सही/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

औबेदुल्लागंज वन मंडल के रातापानी अभ्यारण्य के देलावाड़ी जंगल कैम्प के संचालन म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा करने के लिए शर्तें।

प्रस्तावनाः

रातापानी अभ्यारण्य में वन एवं वन्यप्राणी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड तथा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से देलावाड़ी वन विश्राम गृह के प्रांगण में देलावाड़ी जंगल कैम्प स्थापित किया गया है। इस कैम्प में अच्छी गुणवत्ता के 10 तम्बू लगाकर 20 पर्यटकों के रहने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान भवनों को परिवर्तित करके एक कैफेटेरिया भी स्थापित किया गया है। देलावाड़ी वन विश्राम गृह प्रांगण एक काफी रमणीक स्थल है तथा लम्बे समय से इस क्षेत्र के पर्यटकों को लुभाता रहा है। इस कैम्प को बेस बनाकर पर्यटक आस–पास के वनों में विभिन्न ईको पर्यटन गतिविधियों में भाग ले सकेंगे, जिससे वन/वन्यप्राणी संरक्षण के लिये जागरूकता बढ़ेगी । पर्यटकों के वनों में जाने से वन कर्मचारियों का भी वनों में आवागमन बढ़ेगा जिससे वन अपराधी हतोत्साहित होंगे। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि जिन क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ता है उन क्षेत्रों मे वनों एवं वन्यप्राणियों का घनत्व भी बढ़ता है।

देलावाड़ी जंगल कैम्प के संचालन से जहॉ आस–पास के वनों में सुरक्षा सुदृढ़ होगी वहीं इससे होने वाली आय अभ्यारण्य विकास निधि में जायेगी जिससे अभ्यारण्य का विकास करने तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

इस कैम्प का संचालन वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा के साथ–साथ स्थानीय समुदायों के लाभार्थ किया जाना है। इस कैम्प के माध्यम से न केवल स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध होगा वरन् ईकोपर्यटन गतिविधियों में भी काफी रोजगार निर्मित होने की संभावना है। इस व्यवस्था के संचालन के लिए पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव तथा दक्षता की आवश्यकता है, जो कि वर्तमान में वन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारंभ में वन विभाग एवं ईको विकास समिति के सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के मार्गदर्शन में व्यवसायिक अनुभव तथा अन्य आवश्यक दक्षतायें ग्रहण करें। इस सुविधा के पूरी तरह चालू हो जाने पर वन विभाग, मध्यप्रदेश ईकापर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से इसके संचालन की उचित व्यवस्था करेंगे। अतः निम्न शर्त पर उक्त कैम्प मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित करने की अनुमति दी जाती हैः–

1. देलावाड़ी जंगल कैम्प मध्यप्रदेश वन विभाग की सम्पत्ति है किन्तु वन विभाग की ओर से मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड इसके प्रबंधन/ संचालन एवं रख रखाव के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस संबंध में वन विभाग के सभी अधिकारों का उपयोग करेगा।
2. प्रारंभिक तीन वर्षो की अवधि के लिए देलावाड़ी जंगल कैम्प का संचालन मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वतः के व्यय पर किया जायेगा तथा इस अवधि में जो भी राजस्व प्राप्त हागा वह भी मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को जायेगा।
3. तीन वर्षो के बाद मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा देलावाड़ी जंगल कैम्प की सभी चल/अचल सम्पत्ति (समस्त आफिस एक्यूप्मेंट्स तथा वाहनों इत्यादि को छोड़कर), आवश्यक अभिलेखों सहित चालू रूप में वन मंडलाधिकारी औबेदुल्लागंज को हस्तांतरित की जायेगी।

4. देलावाड़ी जंगल कैम्प के लिए आवश्यक अकुशल कर्मी स्थानीय ग्रामीण ही रखे जायेंगे। इन कर्मियों का चयन योग्यता के आधार पर वन मंडलाधिकारी औबेदुल्लागंज की सलाह से स्थानीय ईको विकास समितियों में से किया जायेगा। उनके प्रशिक्षण तथा दक्षता निर्माण में सभी व्यय मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

5. वन मंडलाधिकारी औबेदुल्लागंज शीघ्रातिशीघ्र मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम तथा मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से वन क्षेत्रों में संवहनीय ईकोपर्यटन गतिविधियॉं प्रारंभ करने की व्यवस्था करेंगे। जिनमें वनों में पैदल एवं वाहनों से भ्रमण की व्यवस्था, पक्षी दर्शन, मचान या हाईड या वन्यप्राणी दर्शन एवं अन्य साहसिक क्रीड़ाओं हेतु व्यवस्था शामिल होगी।

6. देलावाड़ी जंगल कैम्प के संचालन में वन विभाग द्वारा पूरा सहयोग किया जायेगा तथा इस कैम्प में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों तथा पर्यटकों के आने जाने पर वन विभाग द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा। केवल वन क्षेत्र में आने जाने पर नियंत्रण, तथा ईकोपर्यटन गतिविधियों का संचालन वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।

सही/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
मध्यप्रेदेश, भोपाल
दि. 19.08.08

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख)

मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन–भोपाल

क्रमांक/का0आ0/मा0चि0/2009/260 भोपाल, दिनांक 13.03.2009

प्रति,

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   (कार्य आयोजना)
   भोपाल, इंदौर, जबलपुर (म.प्र.)
2. समस्त कार्य आयोजना अधिकारी
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– ईकोपर्यटन प्रबंधन को कार्य आयोजना में सम्मिलित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय में पूर्व प्रसारित निर्देशों को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि ईकोपर्यटन को कार्य आयोजना में एक अध्याय के रूप में लिया जावेगा न कि अतिव्यापी प्रबंधन कार्य वृत्त के रूप में कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा निम्न प्रारूप में अध्याय लेख किया जावेगाः–

1. ईकोपर्यटन गन्तव्य स्थलों का चिन्हांकन– कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा वन कक्ष के भ्रमण में संभावित ईकोपर्यटन गन्तव्य स्थलों को चिन्हांकित किया जावे। कार्य आयोजना अधिकारी ईकोपर्यटन की दृष्टि से ऐसे स्थलों को जी.पी.एस. के मानदंडों से चिन्हांकित करेंगे एवं प्रमुख विशेषताओं का संदर्भ देंगे। कार्य आयोजना अधिकारी भ्रमण के यदि ऐसे गैर वन भूमि उदाहरण पाते हैं जो गन्तव्य स्थल से 100–50 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। कार्य आयोजना अधिकारी के लिये यह प्रक्रिया सहज है क्योंकि संनिधि मानचित्र बनाते समय उनके द्वारा स्थल का प्रगाढ़ निरीक्षण किया जाता है। अतः स्थल विशिष्ट के लिये आकर्षण एवं स्थल की मुख्य मार्ग से दूरी कार्य आयोजना अधिकारी दे सकते हैं।

2. अधोसंरचना विकास–स्थल को पर्यटन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक बनाने के लिये स्थल के अनुरूप उन सभी संभावित अधोसंरचनाओं की सूची दी जावे जिनके विकास से पर्यटन को सुविधाजनक व सूचनायुक्त बनाया जा सकता है। अधोसंरचना के लिये विकास कार्यों का केवल उल्लेख मात्र कार्य आयोजना अधिकारी करेंगे। उदाहरण के लिये–नेचर ट्रेल, बैठने के स्थल, पार्किंग, पहुँच मार्ग, दिवस या रात्रि विश्राम स्थल जो गन्तव्य स्थल का मुख्य स्थलों से दूरी पर आधारित होंगे एवं आहार व प्रसाधन सुविधा होगी। इन संरचनाओं का आकार व योजना स्थल का चयन के उपरांत बोर्ड द्वारा बनायी जावेगी किन्तु उल्लेख मात्र कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा किया जावे।

3. ईकोपर्यटन गतिविधियाँ–चिन्हांकित स्थलों के लिये संभावित ईकोपर्यटन गतिविधियों का उल्लेख कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा किया जावेगा। प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातत्व या साहसिक क्रीड़ा व जल क्रीड़ा दृष्टिकोण से कार्य आयोजना अधिकारी वन कक्ष में भ्रमण करते हुये उल्लेख सहज रूप से कर सकते हैं। वन भ्रमण, प्रकृति दर्शन, साइकलिंग चट्टान या पहाड़ चढ़ना व जंगल सफारी का भी उपयोग उल्लेख में दिया जा सकता है। स्थल पर समस्त संभावित गतिविधियों की परिकल्पना करते हुये एक महत्वाकांक्षी सूची दी जा सकती है।

4. मानव संसाधन क्षमता विकास—कार्य आयोजना अधिकारी वन मण्डल के संयुक्त वन प्रबन्ध अतिव्यापी कार्यवृत्त के लिये प्रावधान कार्य आयोजना में उल्लेखित करते हैं। यदि चिन्हांकित स्थलों के समीप निवास करने वाले स्थानीय समुदायों या ग्राम का उल्लेख कार्य आयोजना अधिकारी निरीक्षण के दौरान कर सकेंगे तो स्थल सम्बन्धी योजना निरूपण अत्यधिक सरल हो जावेगा। स्थानीय समुदायों के सदस्यों को आतिथ्य सत्कार, स्थल विकास, गाईड सुरक्षाकर्मी, बोट मैन एवं सफारी वाहन चालक इत्यादि प्रशिक्षण देकर गन्तव्य स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं। कार्य आयोजना में गन्तव्य स्थल के समीप स्थित ग्रामों के नाम मात्र का उल्लेख किया जाना उचित होगा। कार्य आयोजना में ईकोपर्यटन को समायोजित करने हेतु निम्न प्रपत्र में उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित चार प्रमुख अवयवों पर जानकारी वन कक्षों के भ्रमण के दौरान कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा परिशिष्ट के तौर पर कार्य आयोजना में दी जावेगी।

//प्रपत्र//

स्थल का नाम	लोकेशन		
	कक्ष क्रमांक/ गैर वन भूमि प्रकार	जीपीएस वाचन	किसी प्रमुख स्थान से दूरी (कि.मी. में)
1	2	3	4

स्थल का महत्व			प्रस्तावित गतिविधियाँ	आवश्यक अधोसंरचना	समीपस्थ ग्राम / वन समिति का नाम	अन्य टीप
ऐतिहासिक	धार्मिक	प्राकृतिक				
5	6	7	8	9	10	11

यह निर्देश दिनांक 01.04.2009 से लागू किये जावेंगे।

सही/—
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कार्य आयो. एवं वन भू—अभि.)
मध्यप्रदेश—भोपाल

पृ.क्रमांक/का0आ0/मा0चि0/2009/261 भोपाल, दिनांकः 13—03—2009

प्रतिलिपिः—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/—
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कार्य आयो. एवं वन भू—अभि.)
मध्यप्रदेश—भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, म.प्र.

ou Hkou] ry lhuxj] Hkkiky

Tel- 0755-2674206 (O) 2674318 (PABX), 2766315 (Fax), 2674213 (R)

Email - pablahsifs@gmail.com, pccfwl@sancharnet.in, pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक/प्रबंध–/2009/1039 भोपाल, दिनांकः 18.03.2009

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालकद्व टाईगर रिजर्व, म.प्र.

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)द्व म.प्र. (अभयारण्य से संबंधित)

विषयः– Ecotourism Guidelines

जैसा कि आप लोग अवगत है, विभाग द्वारा प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वाहनों से पार्क भ्रमण के साथ–साथ पैदल भ्रमण, कैम्पिंग, पक्षी दर्शन इत्यादि गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया था तथा इन गतिविधियों के लिए मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम 34, उप नियम 11 (g) के अनुसार प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की ईकोपर्यटन गतिविधियां संचालित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के लिए मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को अधिकृत किया गया है। तदानुसार विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियों के संबंध में एकजाई मार्गदर्शिका संलग्न है। कृपया इस मार्गदर्शिका का उपयोग करते हुए संरक्षित क्षेत्रों में ईकोपर्यटन को प्रोत्साहित करें तथा विभिन्न गतिविधियां संचालित करें।

सही/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्र./प्रबंध'/2009/1040 भोपाल, दिनाँकः 18.03.2009

प्रतिलिपिः–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

सही/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ तकनीकी–1/2643 भोपाल, दिनांक 30.06.09

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
ऊर्जा भवन, लिंक रोड़–2
शिवाजी नगर, भोपाल

विषयः– Permission for camping in Orchha Tourism Zone to Snow Leopard Adv. Pvt. Ltd.

संदर्भः– आपका पत्र क्र.MPEDB/2009/1102 दि. 19.06.09 एवं इस कार्यालय का पत्र क्र. तकनीकी–1/2236 दि. 23.06.09 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। आपके द्वारा ओरछा टूरिज्म जोन में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का इस्तेमाल करने हेतु इन सुविधाओं को आऊसोर्स करने का अनुरोध किया है। आपके सुझाव पर सैद्धान्तिक तौर पर सहमति व्यक्त की जाती है। कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।

सही/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुबंध की शर्ते

ओरछा में बेतवा नदी के किनारे वन विभाग के पर्यटक स्थल को आपरेशन राइट्स हेतु दिये जाने बाबत्

1. ओरछा में वन विहार पर्यटक स्थल को आपरेशन राइट्स के लिए एक वर्ष की अवधि के लिये दिया जावेगा
2. इस अवधि के लिये ई.ओ.आई. के द्वारा तय की गई राशि का भुगतान पूर्व में किया जायेगा।
3. निम्न साहसिक गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति अनुबंधकर्ता को दी जावेगी–
   1. केम्पिंग 2. ट्रेकिंग 3. रॉक क्लाइबिंग, 4. समस्त इनडोर आउटडोर गेम्स, 5. जलक्रीड़ा गतिविधियां, 6. ध्यान एवं योग, 7. पैरासेलिंग, 8. पैराग्लाइडिंग, 9. लैंड बाइकिंग, 10. माउनटेन बाइकिंग, 11. रैपलिंग, 12. मड वाकिंग, 13. सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य साहसिक गतिविधियां जो कि सामान्य रूप से की जाती है। उपरोक्त गतिविधियॉं के अलावा यदि कोई अन्य गतिविधि उनके द्वारा की जाती है तो पर्यटन विकास निगम की स्वीकृति अनिवार्य होगी।
4. साहसिक गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट/दुर्घटना एवं जनहानि आदि का पूर्ण दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
5. इस स्थान पर फार्स्ट–एण्ड–बाक्स तथा चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था अनुबंधकर्ता द्वारा की जायेगी।
6. इस स्थान की साफ–सफाई, टायलेट आदि की साफ सफाई तथा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली के देयक के भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। बिजली के लिये एक सबमीटर लगाया जायेगा।
7. यदि किसी और सुविधा की आवश्यकता पड़ती है तो म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार विचार किया जायेगा।
8. इस स्थान पर अनुबंधकर्ता द्वारा वन नियमों तथा नगर निगम के सभी नियमों तथा अन्य लागू सभी नियमों/कानूनों का पालन किया जायेगा।
9. ओरछा वन विहार पर ईकोपर्यटन का एक कर्मचारी समन्वयक के रूप में सदैव कार्यरत रहेगा जो कि सभी गतिविधियों का अवलोकन करेगा एवं सभी कमरों की चाबियां समन्वयक के पास रहेंगी।
10. एक्सक्लूसिव आपरेशनल राइट्स के अनुसार अनुबंधकर्ता को उपरोक्त स्थान की सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के क्लेम का अधिकार नहीं होगा।
11. इस स्थान पर किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां होने पर या उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त के पालन न होने पर ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
12. सामान्य स्थिति में उपरोक्त अनुबंध निरस्त करने के लिये दोनों पक्षकारों को तीन माह का नोटिस देना अनिवार्य होगा।
13. अनुबंधकर्ता द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियों पर लागू सभी करों के भुगतान एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही का उत्तरदायित्व अनुबंधकर्ता का होगा।
14. The amount payable for one year in advance as per highest bidder is: Rs……..

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग,

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

आदेश

क्रमांक/296/3443/09/10–2 **भोपाल, दिनांकः 22.01.10**

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैनुअल के नियम 48 (2) व 48 (3) में निहित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए वन विश्राम गृहों/निरीक्षण कुटीरों का क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी (जो कि.म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक हैं) के द्वारा इको पर्यटकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, संधारण शुल्क एवं मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल में निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा समय–समय पर इको पर्यटकों के उपयोग के लिए आवंटित विश्राम गृहों/निरीक्षण कुटीरों में इको पर्यटन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संधारण व्यय का पुननिर्धारण एवं युक्तियुक्त परिवर्तन किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
सही/–
(प्रशांत मेहता)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/ 297/3443/09/10–2 भोपाल, दिनांकः 22.01.10

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), प्रगति भवन, तृतीय तल, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, भोपाल
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. इको पर्यटन विकास बोर्ड, ऊर्जा भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/–
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रशान्त मेहता
आई.ए.एस
अपर मुख्य सचिव

अद्ध शा. पत्र क्र.....
मध्यप्रदेश शासन,
वन तथा जैव विविधता एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
दिनांक.....

आप सहमत होंगे कि प्रकृति संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से प्रमुख है। जैविक दबाव के कारण प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता एवं इनसे प्राप्त होने वाली पारिस्थितिकीय सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जलवायु परिवर्तन ही समस्या भी इसी का दुष्परिणात हैं।

उपरोक्त समस्या का मूल कारण आम जनता में प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता की कमी है। इसी कारण सरकार द्वारा संरक्षण के प्रयासों में आम जनता का वांछित सहयोग नहीं मिल पाता है जिसके कारण शासन द्वारा संचालित योजनाओं का अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

प्रकृतिक संसाधनों के महत्व को समझने का सबसे आसान एवं सशक्त तरीका ईकोपर्यटन है। वन्यप्राणी क्षेत्रों में वर्तमान में अधिकांश पर्यटन बाघ केंद्रित होकर रह गया है। अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के अभाव में पर्यटक बाघों के दर्शन के एकमात्र उद्देश्य से वाहनों में बैठकर राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों विचरण करते है। किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध बाघ के अतिरिक्त समस्त जानवर दिखने के बावजूद भी बाघ न दिखने पर पर्यटकों द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि भ्रमणकर्ताओं के अनुभवनों को बढ़ाने के उद्देश्य से संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों का विस्तार किया जाये। इसके लिए मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के प्रावधान अनुसार ट्रैकिंगद्व कैम्पिंगद्व हाईड तथा मचान पर बैठकर वन्य प्राणियों को देखना, नौकायन आदि गतिविधियां की जा सकती है। मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में इन प्रावधानों को 3 वर्ष पूर्व सम्मिलित किये जाने तथा समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं होना निराशाजनक है। अतः अनुरोध है कि गैर वाहन पर्यटन के विकास हेतु यथासंभव प्रयास करें ताकि संरक्षित क्षेत्रों में वाहनों से पर्यटन की धारणा क्षमता (carrying capacity) से अधिक पर्यटक होने पर उन्हें अन्य गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध हो सके।

इस कार्य हेतु संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित होटल/रिसोर्ट प्रबंधन भी आर्थिक सहायता एवं संसाधन व्यक्ति विभाग को उपलब्ध करा सकते है क्योंकि उनके होटल/रिसोर्ट में ठहरने वाले समस्त अतिथियों के लिए वन क्षेत्र में मनोरंजन हेतु अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध होगी एवं उनके व्यापार का विस्तार होगा। अतः संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित होटल/रिसोर्ट के प्रबंधकों से इस संबंध में चर्चा कर उनसे प्राप्त होने वाली बिना शर्त (Unconditional) सहायता की संभावना पर भी विचार करें।

आशा है कि आपके प्रयासों से वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति समाज में एक सकारात्मक काहौल तैयार को सकेगा एवं भविष्य में प्रकृति संरक्षण के लिये विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों को अधिक सफलता प्राप्त हो सकेगी।

भवदीय

(प्रशान्त मेहता)

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (नाम से)
   मध्यप्रदेश

2. समस्त क्षेत्र संचालक (नाम से)
   राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. एफ 15/10/2009/10–2 भोपाल दि. 1 फरवरी,2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, मध्यप्रदेश
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आप अपने स्तर से भी उपरोक्तानुसार गैर वाहन पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सार्थक प्रयास करने का कष्ट करें एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को वांछित सहयोग एंव मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रदेश में सकारात्मक माहौल तैयार हो सके। आपको ज्ञात है कि मा. मुख्यमंत्रीजी द्वारा समय–समय पर प्रदेश में ईकोपर्यटन के विकास पद अत्यधिक जोर दिया गया है तथा अपेक्षा की गयी है कि ईकोपर्यटन के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ स्थलों गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी एवं अन्य समुदाय हेतु रोजगार के अवसर सृजित किये जायें।

अतः अनुरोध है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयायों की नियमित समीक्षा करें एवं प्रगति से शासन को नियमित रूप से अवगत करावें।

सही/–
अपर सचिव,
मध्यप्रेदेश शासन,
वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/10/02 भोपाल, दिनांक 23.03.10

प्रति,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
   मध्यप्रदेश, भोपाल

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
   मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः– अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के मुख्य वन संरक्षक को बोर्ड का पदेन महाप्रबंधक निर्धारण।

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के विनियम क्र. 17 के अनुसार बोर्ड की क्षेत्रीय गतिविधियों का क्रियान्वयन वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। तद्नुसार प्रदेश के 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त (वन संरक्षक के पद पर) में पदस्थित मुख्य वन संरक्षक को पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड घोषित किया जाता है।

मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार (वन संरक्षक के पद पर पदस्थित) –पदेन महाप्रबंधक, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उक्त अधिकारियों को ईकोपर्यटन से संबंधित निर्देश दिये जा सकेंगें तथा उनका पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सही/–
अपर मुख्य सचिव
म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल

पृ0क्र0/10/568/ भोपाल दिनॉंक 23.03.10

प्रतिलिपिः

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/–
अपर मुख्य सचिव, वन
म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल

vij e|[; lfpo] ou ,o v/;{k] dk;Zdkjh lfefr] e/;izn'k bZdki;ZVu fodkl ckMZ
, fox] Åtk Hkou] fyd jkM Øekd&2] f'kokth uxj] Hkkiky
¼njHkk"k 0755&2768798] QDl &2768805] Email - mpecotourism@gmail.com)

क्रमांक/एमपीईडीबी/2010/1659 भोपाल, दिनांकः 6.09.10

प्रति,

1. समस्त संभाग आयुक्त
मध्यप्रदेश।

2. समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषयः— निजी पूँजी निवेश (PPP) के अंतर्गत ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास।

निजी पूँजी निवेश (PPP) के अंतर्गत अधोसंरचना विकास शासन की एक प्राथमिकता है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों को विकसित करने की योजनाए क्रियान्वित की जा रही है। अभी तक एक योजना जिला देवास में ग्राम अर्निया में ईकोपार्क विकास योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा दूसरी योजना जिला रीवा में बीहर नदी के टापुओं तथा तट की भूमि पर ईकोपर्यटन विकास योजना की कार्यवाही चल रही है। लगभग प्रत्येक जिले में इस तरह के प्राकृतिक स्थल उपलब्ध हैं, जिन्हें ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। कृपया आपके प्रशासनिक नियंत्रण के जिले में इस तरह की राजस्व /नजूल भूमि, जो वन क्षेत्र के निकट स्थित हो एवं जिसमें ईकोपर्यटन विकास की संभावना हो, को चिन्हांकित कर बोर्ड को सूचित करने की कार्यवाही करें। बोर्ड द्वारा उक्त क्षेत्र का निरिक्षण करा कर PPP के माध्यम से विकास हेतु योजना तैयार कर कार्यवाही की जावेगी। PPP के माध्यम से अधोसंरचना विकास हेतु संस्थागत वित्त संचालनालय के मार्गदर्शी सिद्धांत की प्रति संलग्न प्रेषित है। साथ ही बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन में PPP की संभावना पर तैयार ब्रोशर भी संलग्न प्रेषित है। इनके आधार पर आपके कार्य क्षेत्र की ईकोपर्यटन संभावना वाली राजस्व/ नजूल भूमि की जानकारी बोर्ड को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

सही/—
(एम.के. राय)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/एमपीईडीबी/2010/1660 भोपाल, दिनांकः 6.09.10

प्रतिलिपिः—

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सही/—
(एम.के. राय)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

vij e[; lfpo] ou ,oa v/;{k] dk;Zdkjh lfefr] e/;izns'k bZdksi;ZVu fodkl cksMZ
, foxz] Åtkz Hkou] fyad jksM Øekad&2] f'kokth uxj] Hkksiky
¼nwjHkk"k% 0755&2768798] QSDl&2768805] Email - mpecotourism@gmail.com)

क्रमांक/एमपीईडीबी/10/1186 भोपाल, दिनांकः 1506.10

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   मध्यप्रदेश
3. समस्त कलेक्टर
   मध्यप्रदेश
4. समस्त वनमंडलाधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः– वन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन के माध्यम से विद्यार्थियों के लिये प्रकृति संवर्धन शिक्षा (Conservation Education)।

प्रदेश के प्रत्येक शहर के पास वन क्षेत्रों में ऐसे रमणीक स्थल उपलब्ध हैं जहॉ पर विद्यार्थी ईकोपयटन के माध्यम से ज्ञानवर्धन कर सकते हैं साथ ही प्राकृतिक परिवेश में मनोरंजन के साथ प्रकृति के विभिन्न आयामों को समझ सकते हैं।

2. प्रारम्भ में ईकोपर्यटन हेतु ऐसे स्थलों का चयन किया जा सकता है जहॉ वन विभाग के निरीक्षण कुटीर/वन विश्राम गृह उपलब्ध हैं और स्टाफ उपलब्ध है। शैक्षणिक संस्थाएं विद्यार्थियों के लिए निर्धारित स्थलों पर वन विभाग की सहमजि से ईकोपर्यटन का आयोजन कर सकती हैं। वन विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार तकनीकी सहयोग एवं सुविधाएँ उपलब्ध करायी जावेंगी।

3. जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी तथा वनमण्डलाधिकारी अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की रूपरेखा तैयार करें और ईकोपर्यटन को एक संस्थागत स्परूप प्रदान करें। यदि शिक्षा विभाग के पास ईकोपर्यटन आयोजन हेतु बजट उपलब्ध हो तो ईकोपर्यटन के लिए विषय विशेषज्ञों (resource persons) की भी व्यवस्था कराई जा सकती है। ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन के आयोजन का एक ब्रोशर तैया किया गया है, जो पत्र के साथ संलग्न है।

4. ईकोपर्यटन एक दिवसीय होगा तथा इसमें रात्रि विश्राम सम्मिलित नहीं रहेगा। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में प्रतिबंधित अवधि में ईकोपर्यटन का आयोजन नहीं किया जाएगा।

सही/–
(एम.के. राय)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

M K Roy
Additional Chief Secretary
Chairman, EC, MPEDB

D.O. Letter No 3845/2010
Government of Madhya Pradesh
Forest Department
Mantralaya,
Vallabh Bhawan, Bhopal- 462004
Tel:- 0755-2441043 (O)
0755-2427958 (R)
Fax: 0755-2570354

Bhopal. Dated 15.11.10

To,

Dr P.B.Gangopadhyay, IFS
Additional Director General,
MoEF, GoI, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi- 110003

Subject:- Institutionalising Ecotourism by incorporation in National Working Plan Code.

Dear,

You are aware that Ecotourism has been globally accepted as an effective tool for sustainable forest management. The role of Ecotourism in forest and wildlife conservation is also being recognized, increasingly.

The Madhya Pradesh Ecotourism Development Board was established in the year 2005 as an autonomous body under the Forest Department to promote Ecotourism in the State. MP Forest Department have also formulated a separate Ecotourism Policy, which is proposed to be incorporated in the Tourism Policy of the State.

The MP Forest Department have also, by Government Order, included Ecotourism activity in our Working Plans, based on the guidelines and prescriptions prepared by the Board.

In the above background, and in order to institutionalize Ecotourism as an effective management tool, it is desired that it should be included in the National Working Plan Code. To facilitate the process, the documents on MP Ecotourism (Draft) Policy and the Guidelines for including Ecotourism in Working Plans, are enclosed herewith. The CEO of the MP EDB can make a presentation on the efforts made by the State and the need for inclusion of Ecotourism in Working Plan Code.

Regards

sd/-
(M.K.Roy)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

–: आदेश :–

क्रमांक/ 662 दिनांक: 26 सितम्बर 2011

ईकोपर्यटन के लिये उपयोग में लाये जाने वाले चिन्हित वन विश्राम गृह एवं निरीक्षण कुटीर हेतु संधारण शुल्क के निर्धारण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/ 296/ 3443/ 09/ 10–2 दिनांक 22.01.2010 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उनके पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के माध्यम से संधारित की जाने वाली सुविधाओं के एवज में संधारण शुल्क देय होगा।

प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए संधारण शुल्क का निर्धारण ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा उनके पदेन क्षेत्रीय महाप्रबंधकों एवं क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ विचार–विमर्श से किया जाएगा। संधारण शुल्क की वसूली संबंधित वन विश्राम गृह/ निरीक्षण कुटीर का क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक (वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी) द्वारा की जाएगी। निर्धारित संधारण शुल्क दिनांक 1 नवंबर 2011 से देय होगा।

(रमेश के. दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृ. क्रमांक/समन्वय/ व्यवस्था/ 3141 दिनांक: 26 सितम्बर 2011

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख)
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय)
4. अ.प्र.मु.व.सं./ मु.व.सं., कार्य आयोजना (आंचलिक), भोपाल/ जबलपुर/ इंदौर
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/ अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त)
7. समस्त क्षेत्र संचालक/ संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
8. सतस्त वन संरक्षक, कार्य आयोजना इकाई, मध्य प्रदेश
9. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय/ उत्पादन)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26/9/2011
मुख्य वन संरक्षक (समन्वय–प्रमुख)

अपर मुख्य सचिव, वन एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड
ए विंग, ऊर्जा भवन, लिंक रोड क्रमांक–2, शिवाजी नगर, भोपाल
(दूरभाषः 0755–2768798, फैक्स–2768805, Email - mpecotourism@gmail.com)

क्रमाँक/एमपीईडीबी/2012/ 250 भोपाल, दिनांकः 23-1-12

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
   मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, क्षेत्रीय वन वृत्त, म.प्र
2. समस्त क्षेत्र संचालक /संचालक एवं पदेन महाप्रबंधक
   मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र
3. समस्त वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी एवं पदेन क्षेत्रीय प्रबंधक
   मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड, सामान्य वन मंडल, म.प्र

विषयः– ईकोपर्यटन गतिविधियों को संस्थागत करने बावत्।

संदर्भः– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमाँक 5200 दिनाँक 15.11.2006
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एमपीईडीबी/10/1186 दिनांक 15.06.2010
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एमपीईडीबी/10/1659 दिनांक 06.09.2010
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्र. 54 दि. 03.01.12.

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन विकास हेतु गत छः वर्षो से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन को प्रदेश में संस्थागत करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये गये हैं। कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं। बोर्ड को उत्कृष्ट गुणवत्ता कार्यो के आधार ISO 9001:2008 Certification भी प्राप्त हुआ है।

बोर्ड के मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन एवं स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा पर्यटकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस दिशा में बोर्ड सतत् रूप से क्रियाशील है।

चूँकि बोर्ड की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन वन विभाग के क्षेत्रीय वनाधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है, अतः क्षेत्रीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ईकोपर्यटन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अत्यंत आवश्यक है। मैदानी अधिकारियों द्वारा ईकोपर्यटन योजनाओं को प्राथमिकता देने पर ही प्रदेश में ईकोपर्यटन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना संभव हो सकेगा। ईकोपर्यटन को वन संवर्धन एवं स्थानीय समुदायों की सतत् आजीविका के लिए एक प्रभावी तंत्र (Tool) के रूप में उपयोग किया जा सकता है। विश्व और देश में इसके अच्छे उदाहरण भी उपलब्ध हैं।

मेरा सुझाव है कि क्षेत्रीय अधिकारी ईकोपर्यटन में विशेष रूचि ले कर तथा अतिरिक्त पहल कर ईकोपर्यटन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सफल प्रयास करें। प्रत्येक वनमंडल में कम से कम एक उत्कृष्ट (State of Art) ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल अगले छः माह में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूर्ण करें।

(स्वदीप सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमाँक/एमपीईडीबी/2012/ 251 भोपाल, दिनांकः 23-1-12

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, प्रगति भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वदीप सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश
प्रगति भवन, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल

क्रमाँक/ 2011/ एक-1/54 भोपाल, दिनाँक : 03-01-2012

प्रति,

समस्त क्षेत्र संचालक/संचालक
..... राष्ट्रीय उद्यान
..... (म.प्र.)

विषयः– संरक्षित क्षेत्रों में ईकोपर्यटन गतिविधियाँ आयोजित करने बावत्।

मैं सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा वन संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो की सराहना करता हूँ। इसी संदर्भ में मैं सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे इसी प्रकार वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों के योगदान को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत रहेगें एवं उनकी आजीविका के संसाधनों को ईकोपर्यटन के माध्यम से सशक्त बनायेगे। संरक्षित क्षेत्रों में न्यूनतम समाघात (Low Impact) वाली ईकोपर्यटन गतिविधियाँ – प्रकृति भ्रमण (नेचर ट्रेल), साईकिलिंग एवं कैम्पिंग की अच्छी संभावना है। उक्त समस्त गतिविधियों (कैम्पिंग, नेचर ट्रेल एवं साईकिलिंग) की कम से कम एक–एक परियोजना को इस कैलेण्डर वर्ष में म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के मार्गदर्शन में संचालित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त गतिविधियाँ संरक्षित क्षेत्रों में जंगल सफ़ारी के दबाव को कम करने एवं स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने में प्रभावी रूप से सहायक सिद्ध होंगी। आशा है कि आप सभी इन कार्यो का प्रभावी रूप से निष्पादन करेंगे।

3/1/12
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमाँक/ 2011/ एक-1/55 भोपाल, दिनाँकः 03-01-20

प्रतिलिपिः–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

3/1/12
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
मध्यप्रदेश

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश

सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल

(E-mail:- pccfmp@mp.gov.in, pccfmp@mpforest.org Fax :- 0755-2674334)

क्रमांक/प्र.मु.व.सं./2012/ 341 भोपाल, दिनांक 27.1.2012

प्रति,

1. समस्त पदेन मुख्य वन संरक्षक
   क्षेत्रीय वनवृत्त, मध्य प्रदेश

2. समस्त वन संरक्षक एवं समस्त वनमंडलाधिकारी
   क्षेत्रीय वनमंडल, मध्य प्रदेश

विषय :– वन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन गतिविधियॉ आयोजित करने बावत्।

–: 00 :–

ईकोपर्यटन की कुछ गतिविधियॉ वन क्षेत्रों में जंगल सफारी के दबाव को कम करने एवं स्थानीय समुदायों के लिये रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने में प्रभावी रूप से सहायक होती हैं। इनमें प्रकृति भ्रमण, साइकिलिंग, बर्डिंग, वन्यप्राणी या वनस्पति अवलोकन इत्यादि गतिविधियॉ मुख्य हैं। अतः अपने वन क्षेत्र में इन गतिविधियों के संभावित स्थलों की पहचान कर सूची ईकोपर्यटन विकास बोर्ड को प्रेषित करें व कार्यक्रम का आयोजन करें।

आशा है कि आप सभी इन कार्यो को प्रभावी रूप से निष्पादन करेंगे।

27/1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश, भोपाल

ई. मेल क्र. 218
दिनांक 30-01-12

पृ0क्रमांक/प्र.मु.व.सं./2012/ 342 भोपाल, दिनांक 27.1.2012

प्रतिलिपि,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 132 दिनांक 10.1.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

27/1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्य प्रदेश, भोपाल

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमाँक/2012/8·2 भोपाल, दिनाँक 12/4/12

प्रति,

1. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त (म.प्र.)
2. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वन वृत्त (म.प्र.)
3. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   क्षेत्र संचालक/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य (म.प्र.)
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल (म.प्र.)

विषयः– ईकोपर्यटन योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्यपूर्ण प्रतिवेदन हेतु क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करने के संबंध में।

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमाँक नि.स. 149 दि. 16.08.2010, क्र. 92 दि. 23.04.11 क्र. 341 दि. 27.01.12

इस कार्यालय द्वारा जारी संदर्भित पत्रों का आप अवलोकन करें। मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई गई राशि से आपके कार्यक्षेत्र में ईकोपर्यटन से संबंधित कराये गये कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्यपूर्ण प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिमाह जानकारी प्रेषित नहीं की जा रही है। संलग्न प्रपत्र में वन वृत्तों/संरक्षित क्षेत्रों से प्रतिमाह कार्य प्रगति/कार्यपूर्ण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रतिमाह नहीं भेज जा रहे है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्यपूर्ण प्रतिवेदन नियमित रुप से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त न होने के कारण ऑडिट आपत्ति तथा भविष्य में नई योजनाओं के लिये राशि विमुक्ति में अनावश्यक व्यवधान संभावित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप समस्त चल रहे कार्यो का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, पूर्ण हो चुके कार्यो का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में प्रतिमाह भेजने की कार्यवाही करें।

संलग्नः– प्रपत्र

12/4

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमाँक/2012/83 भोपाल, दिनाँकः 12/4/12

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) प्रगति भवन, एम.पी.नगर, जोन 1 भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर आपके पत्र क्र. 812 दि. 09.03.2012 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/4

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

(रमेश के. दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र.,भोपाल

\\Pa\d\New

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक

प्रथम तल – सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमाँक/2012/101/ भोपाल, दिनाँक 20/4/12

प्रति,

1. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त (म.प्र.)
2. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वन वृत्त (म.प्र.)
3. समस्त महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   क्षेत्र संचालक/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य (म.प्र.)
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एवं
   वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल (म.प्र.)

विषयः– ईकोपर्यटन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ।

म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर से जो योजनाएँ स्वीकृत की जाती है और बजट विमुक्त किए जाते है, वे बोर्ड के कार्यकारी समिति के निर्णय से किए जाते है। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव वन है, और समिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं अन्य सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग प्रमुख सदस्य है। अतः इस समिति द्वारा स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना सभी का दायित्व है।

तद्नुसार कृपया यह सुनिश्चित करें कि :–

- ईकोपर्यटन बोर्ड द्वारा जो भी कार्य स्वीकृत किए जाते है, उन्हे विभागीय कार्य की तरह ही समय बद्ध तरीके से पूर्ण किया जाता है।
- बोर्ड द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है उनका स्वीकृत योजना अनुसार समय सीमा में उपयोगिता उपरांत निर्धारित प्रपत्र में लेखा संधारित कर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

2014

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमाँक/2012/102 भोपाल, दिनाँकः 20/4/12

प्रतिलिपि :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2014

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश, भोपाल

F:\PCCF Video Conference letter.doc

(रमेश के. दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म.प्र. भोपाल